न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर : 03/12 /2021

प्रकरण संख्या : 275/2021

अनवान

कमलेश पिता तुलसीराम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.

.... प्रार्थी

बनाम

01. गोपी पिता देबी जाति ओड उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
02. मोहनलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेडा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
03. सोहनीदेवी पत्नि कैलाश जाति ओड उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.
04. मोत्या पत्नि जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज.

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : –

दिनांक 7/12/**2021**

प्रार्थना पत्र कमलेश पिता तुलसीराम जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा राज. ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 73 पर अंकित आराजी सं. 701/122 रकबा 0.0890 है0 भूमि सामलाती दर्ज है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया।

अतः प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में शिविर स्थान बिजौलियां **में पत्रावली पेश हुई हमनें पत्रावली का अवलोकन किया।**

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा मन्डोल पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता सं. 73 पर अंकित आराजी सं. 701/122 रकबा 0.0890 है0 भूमि सामलाती दर्ज की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि **100/–** रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलिया कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। फीस **500/–** रूपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(प्रशासन गॉवों के संग अभियान-2021 ★ उपखण्ड बिजौलियाँ)

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
(उपखण्ड अधिकारी)
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा – ......111–128........ नम्बर ......275..../2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/12/2021	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। पेरोकार हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 7/12/2021 को पेश हों। **उपखण्ड अधिकारी** **बिजौलियां**	
07/12/2021	पत्रावली बन्द बस्ते से आज प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 में शिविर स्थान बिजौलियाँ कस्बा में पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स्वीकार किया जाता है, निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] प्रभारी अधिकारी प्रशासन गाँवो संग अभियान-2021 (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)	